<u>निर्देश संख्या -15</u>

<u>राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में</u>

<u>वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग</u>

तृतीय तल , इंडियन आयल भवन,
01, श्री अरबिन्द मार्ग, यूसुफ सराय,
नई दिल्ली-110016

स. ए-110016/12/2020/सी.ए.क्यू.एम.-सीएंडडी -464-465 दिनांक: 11.06.2021

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2021 की धारा 12 के तहत निर्देश :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी:- "वेब पोर्टल"- एनडीएमसी |

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा गठित, किया गया है और आयोजन माये अध्यादेश के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है | उपर्युक्त संदर्भित अधदयादेश 2021 की धारा 30 के अनुसार पहले अध्यादेश 2020 के तहत किया गया था की गयी कार्यवाई को अध्यादेश 2021 के तहत किया गया या की गयी कार्यवाई को अध्यादेश 2021 के समरूप किया गया समझा जाएगा |

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से निकलने वाली धूल वायु प्रदुषण का एक बड़ा और निरंतर श्रोत है और पी. एम. 2.5, एवं पी. एम. 10 के स्तर पर प्रतिकूल योगदान देता है और इस प्रकार वायु प्रदुषण बढाने में एक बड़ा कारण है |

जबकि, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 6 एवं 2.5 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिनांक 29.03.2016 की अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 317 (ई) के तहत अधिसूचित "निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" से अन्य बातों के साथ, अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों, सेवा देनेवालों और उनके ठेकेदारों, स्थानीय प्राधिकारियों एस. पी. एस. बी./ एस. पी. सी. सी. और सी.पी.सी. बी. आदि के लिए प्रबंधन एवं निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से धूल नियंत्रण के लिए कर्तव्यों की व्याख्या की है।

जबकि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण सामग्री और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट 2017 के तहत धूल काम करने के िपायूँ के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है| जो की अन्य बातों के साथ -२ निर्माण सामाग्री और की. एन्ड. दी. उपशिष्ट निर्माण सामग्री के संघटक और की. एन्ड. दी. अपशिष्ट यानी परिवहन, ऑफ साइट/आनसाइट भण्डारण, निर्माण/विध्वंस / जीर्णोद्धार स्थल पर गतिविधियों आदि के प्रबंधन के बारे में बड़ी धूल उत्पन्न करने वाली ततिविधियों की पहचान शामिल है |

जबकि , अन्य बातों के साथ-साथ , धूल कम करने उपाय जैसे नमी को दवाना (रोकना), रोक लगाकर हवा को कम करना , निर्माण एवं विध्वंस भवनों पर पाड़ बांध कर धूल रोकने के लिए चादर का कपडा

लगाना, निर्माण जिसमें आसानी से हवा घुसती है, निर्माण सामग्री का मलबा जो अस्थाई भंडार स्थलों पर इकट्ठे पड़े होते हैं,उन्हें अच्छी तरह ढका जाना, निर्माण एवं विध्वंस अवशेष सामग्री का उचित निपान, निर्माण एवं विध्वंस सामग्री को स्थलऊँ से ट्रक / वाहन द्वारा ले जाते समय उचित प्रकारों से ढकना ऐसी सामग्री आदि को ऐसे वाहनों / में चढ़ाने/उतरने के बाद, सड़क पर चलाने से पहले अच्छी तरह से साफ़ करना आदि किया जाना चाहिए|

जबकि, धूल कम करने के उपायों से सम्बंधित नियमों/दिशानिर्देशों के तहत अधिदेश के अनुसार अनुपालन न करने से निर्माण एवं विध्वंस स्थलों से धूल हवा में फ़ैल जाती है और पी. एम. 2.5 के स्टार को बढ़ाती है जिससे बायु और अधिक प्रदूषित हो जाती है |

जबकि, आयोग का विचार है कि, किसी भी व्यक्ति या संगठन या प्राधिकारी से किसी सिविल ढांचे द्वारा किये गए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट जैसे बिल्डिंग सामग्री, कचरा/ टुकड़े आदि के निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और विध्वंस से होनेवाली समस्या को हल करने के लिए विभिन्न धूल नियंत्रण उपायों को, अन्य बातों के साथ, नियमित रूप से निगरानी और निरीक्षण की आवश्यकता होती है|

जबकि, निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और विध्वंस से सिविल ढांचे के निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और विध्वंस से सिविल ढांचे के गंभीर विपरीत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आयोग ने दिनांक 23. 12. 2020 को निर्देश जरी कुए जिसके तहत सम्बंधित सी. पी. सी . बी. , एस. पी. सी. बी. और डी. पी. सी. बी. धूल नियंत्रण उपयोग के अनुपालन, फील्ड द्वारा/ निरीक्षण करेंगे और उसकी पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे |

जबकि, प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है की अन्य बातों के साथ, धूल नियंत्रण उपायों को और अधिक मज़बूत करने के लिए निरीक्षणों की बारम्बारता को बढ़ाया जाना चाहिए |

जबकि, आयोग का विचार है की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों में बढ़ोत्तरी होने से धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी करने के लिए केवल व्यावहारिक निरीक्षण से उद्देश्य पूरा नहीं जो सकता है|

जबकि, परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन के लिए निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिये ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत करने की आवश्यकता है जिसके की उनकों जिम्मेदार बनाया जा सके |

जबकि, आयोग ने दिनांक 27.01. 2021 के संसख्यक पत्र के तहत राज्य सरकारों/जी.एन.सी.टी.डी. को एडवाइजरी जारी की कि वे परियोजनाओं / सी.एन. सी.टी. डी. स्थलों पर धूल नियंत्रण उपाय सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाइन प्रणाली की शुरुआत करें| तदनुसार , राज्य सरकारों/जी.एन.सी.टी.डी. को अनुरोध किया गया की वह आयोग को सूचित करें कि कितने समय में धूल नियंत्रण उपायों किं ऑनलाइन निगरानी के लिए वेब पोर्टल विकसित हो जायेगी और कार्य करना शुरू कर देगी|

जबकि, राज्य सरकारों / जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा की गयी कार्यवाई/ उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है |

जबकि, सी. एन्ड डी. गतिविधियों से होने वाली अनियंत्रित धूल निकलने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव को देखते हुए आयोग का विचार है कि यह अत्यधिक जरूरी है कि एक सम्मिलित और स्पष्ट पहुंच के साथ एक कुशल प्रणाली लागू की जाए|

जबकि , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2021 की धारा 12 (2) (VII) आयोग को शक्ति देता है कि वह ऐसे निर्देश जारी करे जिसके तहत किसी उद्योग

ऑपरेशन या प्रक्रिया या उद्योगों, ऑपरेशन्स या प्रक्रियाओं के वर्ग में प्रतिबन्ध लगा सकता है , जो कि क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है या कुछ सुरक्षा उपायों के साथ गतिविधियाँ चलायी जायेंगी|

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम अध्यादेश 2021 की धारा 12 (2) (VII) आयोग को शक्ति देती है की वह किसी परिसर, संयंत्र, उपकरण, मिशनरी, उत्पादन या अन्य प्रकिर्या , सामग्री या पदार्थ का निरीक्षण करें और ऐसे प्राधिकारियों, अधिकारियों या व्यक्तियों को क्षेत्र में वायु प्रदूषण रोकने नियंत्रित करने या काम करने हेतु आवश्यक चित निरेदश जारी कर सकता है |

जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2021, आयोग को शक्ति देता है कि वह किसी व्यक्ति, अधिकारी या किसी प्राधिकारी को लिखित में निर्देश जारी करें और ऐसा व्यक्ति , अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है |

अब, इसलिए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के कठोर कार्यान्वयन और धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने हेतु सम्बंधित राज्य सरकारों / जी. एन. सी. टी. डी. के अधीन निर्देशों/ आदेशों के अनुपालन हेतु राष्ट्रियी राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग निम्नलिखित निर्देश जारी करता है: -

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्रों में परियोजना प्रस्तावकों द्वारा धूल कम करने उपायों की निगरानी का अनुपालन करने हेतु , डी . पी. सी . सी. , सी. पी. सी. बी. द्वारा वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली की स्थापना की जाए |

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरी स्थानीय निकायों के कार्य क्षेत्र में निर्माण एवं विध्वंस सिविल ढांचों में (500 वर्ग मीटर के प्लाट या उससे बड़े परियोजनाओं को अनिवार्यत: वेब पोर्टल पर रजिस्टर कराने की जरूरत है|

(iii) धूल कम करने हेतु सम्बंधित प्राधिकारियों द्वारा समय - समय पर जारी प्रकाशित /निर्देशित किये गए दिशा/निर्देशों पर आधारित विस्तृत जांच सूची को समेकित किया जाए और एन. सी. आर. में धूल कम करने उपायों के अनुपालन हेतु ऑनलाइन प्रणाली पर डाला जाए|

(iv) धूल नियंत्रण/कम करने उपायों की एक व्याख्यात्मक / परिचयात्मक सूची जो की पैशिष्ट पर दी हुयी है, उपरोक्त माध संख्या 03 में दिए गये सुझावों के अनुसार तैयार की जाए |

(v) उपरोक्त मद सं 3 मद सं 4 के साथ पठित के अनुसार वेब पोर्टल पर डाली जाए जिससे परियोजना प्रस्तावकों कोक उनकी गतिविधियों की निर्देशित मानदंड के अनुसार स्व-निगरानी / स्व-लेखा परीक्षा की जा सके , जिससे, अनुपालन की दशा में आवश्यकतानुसार सुधर किया जा सके |

(vi) परियोजना प्रस्तावक धूल नियंत्रण उपायों का स्व-लेखा परीक्षा/स्व-निर्धारण करेंगे और पाक्षिक आधार पर स्वत: घोषणा अपलोड करें|

(vii) निगरानी के उद्देश्य से परियोजना में दूरस्थ सम्बन्ध के साथ वीडियो फेंसिंग का प्रोग्राम वेबपोर्टल में शामिल किया जाना चाहिए| (एन सी आर के नगरपालिका क्षेत्र में जहां प्लाट 500 वर्ग मीटर या उससे बड़ा हो|)

<u>**निर्देश संख्या -15**</u>

(viii) परियाजना स्थल पर विश्वसनीय कम कीमत का पीएम 2.5 और पीएम 10 सेंसर लगाए जाने चाहिए और वेबपोर्टल में लाइव डैश बोर्ड से लिंक होना चाहिए|

(ix) ऐसी परियोजनाओं से डील करने वाली सी पी सी बी सरकारी एजेंसियों और सम्बंधित सरकारी प्रशासनिक विभागों में वेबपोर्टल के डैशबोर्ड से लिंक होना चाहिए|

(x) सीपीसीबी/डीपीसीसी/एसपीसीबी को निर्माण स्थलों पर अनुपालन की डिग्री का सत्यापन और स्व घोषणा / स्व लेखा परीक्षा करने के लिए पूर्व सुचना के साथ कार्यक्रम बना कर दौरा करना चाहिए ।

(xi) सीपीसीबी/डीपीसीसी/एसपीसीबी को ऐसे स्थालों पर अनुपालन की स्थिति का मूल्याङ्कन करने के लिए औचक नीरक्षण करना चाहिए और उचित कार्रवाई के तहत पर्यावरण मुआवजा और या काम बंद करने का आदेश देना चाहिए|

आयोग के उपरोक्त निर्देशों का कार्यान्वयन परम अग्रता के साथ किया जाए ।

कार्यान्वयन की प्रगति /स्थिति आयोग को मासिक आधार पर भेजी जाएगी|

हस्ता०

(अरविन्द कुमार नौटियाल)

सदस्य सचिव

दूरभाष सं: - 011-20861974

ई मेल : arvind.nautiyal@gov.in

संलग्न: यथोपरि

सेवा में :

आयुक्त , नई दिल्ली नगर निगम|

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष , केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड,
2. सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

(अरविन्द कुमार नौटियाल)

निर्देश संख्या -15

अनुलग्नक

धूल नियंत्रण/शमन उपायों की एक दृष्टांत/अंतिम सूची
निर्माण स्थल पर धूल उत्पादन को कम करने के लिए उपचारित पानी प्रयोग करना। (पानी कई तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है उदाहरण के लिए एंटी स्मॉग गन, ट्रक, वाटर पिल्स, पानी की तोपों, नली, फायर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर आदि) ।
धूल दमन का उपयोग: (i) लिक्विड पॉलीमर इमल्शन (ii) एग्लोमरेटिंग केमिक्लस (जैसे लिग्नोसल्फेनेट्स, पॉलीएक्रिलमाइड); (iii) सीमेंटिक उत्पाद (जैसे चूने आधारित उत्पाद, कैल्शियम सल्फेट); (iv) पेट्रोलियम आधारित उत्पाद (जैसे पेट्रोलियम इमल्शन); और (v) क्लोराइड साल्ट (जैसे कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड)।
निर्माण स्थल के लेआउट डिजाइनिंग फ्यूजिटिव धूल उत्पादन क्षमता को कम करने के लिए, पहुंच सड़कों, प्रवेश द्वार और रास्ते, भंडारण ढेर, वाहन स्टेजिंग क्षेत्रों, और धूल उत्सर्जन के अन्य संभावित स्रोतों सहित ।
पूर्व निर्मित सामग्री और मॉड्यूलर निर्माण इकाइयों का उपयोग।
सामग्री के वितरण के लिए यात्रा की दूरी को कम से कम करना |
धूल नियंत्रण के लिए मचान चादरें/जाल, हवा की बाड़ का उपयोग करें ।
पत्थर/मिट्टी/जियो-टेक्सटाइल्स/वनस्पति/कॉम्पैक्टिंग के साथ मिट्टी के कार्यों को पूरा करके स्थिर करें ।
हवा की स्थिति के दौरान हवा से उड़ा धूल उत्पादन गतिविधियों को कम करना|
भंडारण ढेर के लिए बाड़ों/कवर का उपयोग करें जैसे तिरपाल, प्लास्टिक, कृषि शेड जाल बाड़/स्क्रीन|
उचित आकार भंडारण ढेर ताकि उनके पास खड़ी साईट या मुहाना न हों।
साइट पर भंडारण समय को कम करने के लिए भूनिर्माण सामग्री के वितरण का उचित शेड्यूलिंग।
परिवहन के दौरान निर्माण सामग्री का ढकना|
साइट छोड़ने से पहले ट्रक अंडरबॉडी और टायरों से सामग्री निकालें और साथ ही पक्की सड़कों से समय समय पर मिट्टी/गंदगी को हटाने के लिए तकनीकों को लागू करें|
सीएंडडी कचरे का उचित संग्रह, पृथक्करण और निपटान और निपटान के लिए लॉग बुक का रखरखाव सुनिश्चित करें।
सीएंडडी वेस्ट रीसाइक्लिंग के लिए नियोजित विकल्प।
अवांछित स्थलों पर सीएंडडी कचरे को फेंकने से बचने के लिए पहले से ही कदम उठाए जाएं|
स्थानांतरण बिंदु पर सामग्री ड्रॉप ऊंचाई को कम करें और स्थानांतरण बिंदु के आसपास अहाता सुनिश्चित करें।
बेपटे हुए सड़क की सतहों और उसके उचित रखरखाव के लिए सतह सुधार।
कटिंग, गाइडिंग और ड्रिलिंग के साथ मिलकर पानी का स्प्रे लगाना।
रेत और ग्रिट ब्लास्टिंग और फैकेड क्लीनिंग के लिए गीली प्रक्रिया लागू करें।
अहाता में मिश्रण प्रक्रिया सुनिश्चित करें|